17 नवंबर, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 80वीं बैठक का कार्यवृत्त

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की अस्सीवीं (80वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 17 नवंबर, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 80.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (5 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) दीमापुर, नागालैंड में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 11 अक्टूबर, 2018 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 11 अक्टूबर, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एफएसईजेड को अपेडा तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सहायता से एसईजेड को शीघ्र क्रियाशील बनाने के मामले को उठाने का भी निदेश दिया।

(ii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 नवंबर, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मिकाडो रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 29 अक्टूबर, 2019 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) प्लाट नंबर 8, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 सितंबर, 2018 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डन टावर इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 नवंबर, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(v) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 दिसंबर, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा स्टील एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17 दिसंबर, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

मद संख्या 80.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (7 प्रस्ताव)

(i) मैसर्स डोर्फकेटल केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दाहेज एसईजेड, भड़ूच, गुजरात को जारी किए गए मंज़ूरी पत्र दिनांक 2 सितंबर 2014 की वैधता अवधि बढ़ाना

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1 सितंबर, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(ii) मैसर्स बेंजो केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, दाहेज एसईजेड, भड़ूच, गुजरात को जारी किए गए मंज़ूरी पत्र दिनांक 8 सितंबर 2011 की वैधता अवधि बढ़ाना

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 सितंबर, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(iii) 22 अप्रैल, 2017 के बाद 22 अप्रैल, 2018 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड (यूनिट 4) जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 अप्रैल, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(iv) 15 सितंबर, 2017 के बाद 14 सितंबर 2018 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि चौथी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स हास कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 14 सितंबर, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(v) एक साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 12 अगस्त 2018 तक मंज़ूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स राजधानी क्राफ्ट जो ग्राम कलवारा, जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर लिमिटेड के हस्तशिल्प एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 12 अगस्त, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) 20 अक्टूबर 2017 के बाद 20 अक्टूबर 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि चौथी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एसाइंटिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो विशाखापट्टनम में मैसर्स एपीआईआईसी द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड (एपीएसईजेड) की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20अक्टूबर, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vii) 24 अप्रैल, 2013 के बाद 10 अगस्त 2019 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फिब्रोफिल्ट इंडस्ट्रीज जो एएमआरएल एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 16 नवंबर, 2018 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की। विकास आयुक्त, एमईपीजेड को प्रगति की निगरानी करनी है तथा समय समय पर वाणिज्य विभाग को इस संबंध में सूचना प्रदान करनी है।

मद संख्या 80.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध (7 प्रस्ताव)

(i) विशेष रूप से बेयर शेल बिल्डिंग के वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तन के अधिकृत प्रचालनों के संचालन तथा उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस एसईजेड में निर्मित स्थान को पट्टा पर देने के लिए एसईजेड के विकास के लिए मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड, बंगलौर में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एएनएसआर ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम नेटवर्क इनफार्मेशन ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था), बंगलौर का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन बेयर शेल बिल्डिंग को वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तित करने तथा विंग ए में ब्लाक टीक (जी 3) में 33498 वर्गफीट और विंग ए में ब्लाक माउंटेन ऐश (एच 2) में 18803 वर्गफीट (52301 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्र को पट्टा पर देने के अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए मैसर्स एएनएसआर ग्लोबल कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) निम्नलिखित के प्रयोजनार्थ मैसर्स रामकी फर्मा सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड का अनुरोध :

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने (सह विकासक में सहमति के अनुसार) एसईजेड में भवन, निस्सारी शोधन संयंत्र, अपशिष्ट यार्ड, डब्ल्यूटीपी टैंक आदि सहित अवसंरचना के विकास एवं अनुरक्षण तथा अन्य दैनिक नियमित गतिविधियां जो एसईजेड में अपेक्षित हैं जैसे कि सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के इस शर्त के अधीन होंगी कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी (सह विकासक द्वारा प्रस्तावित अधिकृत प्रचालन)।

(iii) महिंद्रा वर्ल्ड सिटी आईटी एसईजेड, तमिलनाडु में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन सह विकासक की हैसियत से प्रस्तावित क्षेत्र में अपेक्षित अवसंरचना के विकास के लिए मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजीज सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iv) 16370 वर्गफीट (1520.8228 वर्गमीटर) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए मैसर्स एटीएस सैवी डवलपर्स एलएलपी जो रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने सूचित किया कि सह विकासक करार प्राप्त हो गया है तथा 11 नवंबर 2017 को वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए पट्टा सह विकास करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 16370 वर्गमीटर (1520.8228 वर्गफीट) के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए एटीएस सैवी डवलपर्स एलएलपी के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(v) आईटी / आईटीईएस भवन सहित अवसंरचना सुविधाएं तथा अन्य प्रचालन प्रदान करने के लिए मैसर्स दिव्यश्री टेक पार्क कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 11.15 हेक्टेयर (27.55 एकड़) के क्षेत्र में आईटी / आईटीईएस भवन सहित अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा अन्य प्रचालनों के लिए मैसर्स दिव्यश्री टेक पार्क कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(vi) 21539 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के लिए आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवन तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिटों के स्थान के विकास तथा सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए एमआईडीसी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स ग्लोम्ड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिट के लिए स्थान के विकास तथा डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए 21539 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के लिए मैसर्स ग्लोम्ड डवपलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(vii) लगभग 1.90 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवन तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिटों के स्थान के विकास तथा सभी डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों

के लिए एमआईडीसी के आईटी / आईटीईएस एसईजेड, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स नेक्स्ट्रा डाटा लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिट के लिए स्थान के विकास तथा डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए लगभग 1.90 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए मैसर्स नेक्स्ट्रा डाटा लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 80.4 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए (एक प्रस्ताव)

(i) 53.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सर्वे नंबर 84-93 एवं 108, केसवरम गांव, सर्वे नंबर 146, 149 एवं 150, राजावरम गांव, पयाकारावपेटा मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में रसायन एवं फर्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन फाइन केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 53.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सर्वे नंबर 84-93 एवं 108, केसवरम गांव, सर्वे नंबर 146, 149 एवं 150, राजावरम गांव, पयाकारावपेटा मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में रसायन एवं फर्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 80.5 : विविध मामले (4 प्रस्ताव)

(i) आईटीसी अध्याय शीर्ष 29037100 के तहत आने वाले प्रतिबंधित कच्चा माल "प्रयुक्त कुकिंग ऑयल" के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध

डीजीएफटी ने सूचित किया कि "प्रयुक्त कुकिंग ऑयल" निषिद्ध श्रेणी में, न कि प्रतिबंधित श्रेणी में आता है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया कि विकास आयुक्त, दाहेज पूर्ण ब्यौरा एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राय प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव की जांच करें।

(ii) एपीएसईजेड, मुंद्रा में लगभग 16 किलोमीटर लंबी गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए सह विकासक के रूप में अनुमोदन के लिए गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल) का अनुरोध

डीजीईपी के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह प्रस्ताव सही मायने में सह विकासक के रूप में शामिल नहीं है। तथापि, जीएसपीएल कोई कर लाभ प्राप्त नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा माल के अबाध रूप से अंदर आने और बाहर निकलने के लिए एसईजेड अधिनियम 2005 या एसईजेड नियमावली 2006 में कोई प्रावधान नहीं है। एसईजेड अधिनियम 2005 के अनुसार एसईजेड में और एसईजेड से बाहर गैस की आपूर्ति एसईजेड में अधिकृत प्रचालन नहीं है।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि चूंकि मैसर्स जीएसपीएल द्वारा कोई कर या ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया जाएगा और यह कि पहले कोचीन एसईजेड के तहत समान अनुमति प्रदान की जा चुकी है, अनुमोदन बोर्ड ने

इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की कि जीएसपीएल पाइप लाइन बिछाने के लिए किसी कर या ड्यूटी लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

(iii) औपचारिक अनुमोदन के निरसन के प्रतिसंहरण के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई) जो अबू गार्डन, ओएमआर रोड, नवालूर, चेन्नई, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन के निरसन के प्रतिसंहरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ख) नवालूर, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 मई, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30सितंबर, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) अपने एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एस्टांसिया आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम वल्लनचेरी, चेंगलपेट तालुक, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि मौजूदा अधिसूचित एसईजेड क्रियाशील है या नहीं।

मद संख्या 80.6 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (2 अपीलें)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 सितंबर, 2017 के विरुद्ध एनएसईजेड में यूनिट स्थापित करने का अनुरोध करने वाले मैसर्स रेयान इंपेक्स की अपील

अपीलकर्ता और श्री संदीप अग्रवाल 17 नवंबर 2017 को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि आवेदन को अस्वीकार करने का यूनिट अनुमोदन समिति का निर्णय "स्टार्टअप" के सिद्धांतों तथा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के विरुद्ध है और इसलिए अनुभव पर जोर देना सही नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है। इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप के रूप में व्यवसाय करने का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यद्यपि डीआईपीपी की अधिसूचना संख्या 501 (ई) दिनांक 23 मई 2017 के अनुसार स्टार्टअप के रूप में मैसर्स रेयान इंपेक्स पर विचार किया जा सकता है परंतु उन्होंने निर्यात, संभावित ग्राहकों, विषय क्षेत्र के ज्ञान के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है (अपीलकर्ता ने जेमोलॉजी में केवल 7 दिन का कोर्स किया है) और इसलिए अपील अस्वीकार कर दी गई।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, एफएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 फरवरी 2017 के विरुद्ध मैसर्स रोबिंसन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 56 (2) में निर्धारित समय सीमा के बाद की गई है।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 80.7 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (14 प्रस्ताव)

अनुमोदन बोर्ड के निर्णय को अलग से परिचालित किया जाएगा।

मद संख्या 80.8 : विविध मदें (2 प्रस्ताव)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एपीएसईजेडएल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 2017 के विरुद्ध मैसर्स फास्ट ट्रैक सीएफएस प्राइवेट लिमिटेड जो एपीएसईजेडएल की यूनिट है, की अपील

डीजीईपी के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि यह अपील सामान्य आयात एवं निर्यात पोर्ट के रूप में काम करने के लिए यूनिट को अनुमति प्रदान करने से संबंधित है, जो एसईजेड अधिनियम 2005 या एसईजेड नियमावली 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत नहीं है और इसलिए यह राय व्यक्त की गई कि अनुमोदन बोर्ड डीटीए आपूर्तिकर्ता या डीटीए क्रेता की ओर से ऐसे वेयरहाउसिंग को अनुमत करने से सहमत नहीं है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

(ii) डिफाल्ट अधिकृत सेवाओं की एकसमान सूची की पुनरावृत्ति

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पहले अनुमोदित किए गए डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों की बहाली के लिए मंजूरी प्रदान की।

****